उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

27 अगस्त, 2025 ई0

संख्या–293/XXXVI-A-3/2025 208/01 T.C.-I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा–1 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, श्री विनोद कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग, जिला चमोली को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विकासनगर जिला देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

प्रशांत जोशी,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 13–09–2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 न्याय/446–15–10–2025–20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।